

विविध खाद सं०-34/2016 (धारा 145 फं० प्र० सं०)
मातृदेवी वनाम राधा साव

6.6.17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित।

विपक्षी की ओर से लिखित प्रवाद
दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष महादी
नरेश्वर अभिलेख दिनांक 20.6.17 को
रखे।

6/6/17

20-6-17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष की हाजरी। अभिलेख
दिनांक 04-07-17 को रखे।

SPM

4.7.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित, द्वितीय
पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 18.7.17
को रखे।

4/7/17

18.7.17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष
की ओर से हाजरी दाखिल।
दिनांक 01-08-17 को रखे।

SPM

1-8-17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित।
दिनांक 22.8.17 को रखे।

22-8-17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित।

उभय पक्ष के विद्वान अखिलेश की सुन। द्वितीय
पक्ष के द्वारा दिनांक 18-07-17 को आवेदन पत्र देकर

1

2

सूचित किया जाता है कि इस वाद भूमि से
संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय, जलटनगंज
में चला रहा है इस कारण से इस वाद की
कार्रवाई समाप्त कर दी जाय। न्यायालय
में प्रथम पक्ष के उपस्थित विद्वान अधिवक्ता
के द्वारा भी इस मामले की सुनवाई देरी
हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त करने
हेतु आग्रह किया जाता।

अतः उभय पक्षों के सहमती के आलोक
में अभिलेख की अग्रिम कार्रवाई समाप्त
किया जाता है।

लेखापित्र एवं संसोधित

(दिनांक 8/12)

(दिनांक 8/12)

अनुमान पदाधिकारी,
द्वारपुरा, पलामू।

अनुमान पदाधिकारी,
द्वारपुरा, पलामू।